न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 164 / 2017
दायर दिनांक – 20 / 12 / 2017
निर्णय दिनांक – 23 / 01 / 2018

अनवान

1. रोशनालाल पिता उदयराम जाट निवासी सिन्देसरकलां तह0 रेलमगरा

प्राथ

बनाम

1. उंकार लाल पिता मंगनीराम ब्राहमण निवासी सिन्देसरकलां तह0 रेलमगरा

अप्राथ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम सिन्देसरकलां तमहसील क्षेत्र रेलमगरा में प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजी संख्या 1082 रकबा 03–17 बीघा भूमि स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश है। प्रार्थी की आराजी संख्या 1082 के उत्तरी दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 1081 स्थित है। विपक्षी की आराजी संख्या 1081 के उत्तरी दिशा में आम सडक रेलमगरा से गिलुण्ड जाने वाली स्थित है। प्रमाण में नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रति संलग्न है। प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1082 में आने जाने हल बैल, बैलगाडी, टेक्टर इत्यादि लाने ले जाने एवं काश्त करने हेतु गांव सिन्देसर कलां से आम रास्ते से आराजी संख्या 1081 की पूर्वी पाली से प्रवेश कर पाली के सहारे सहारे विपक्षीगण की आराजी संख्या 1081 के पूर्वी पाली से होते हुए अपनी आराजी संख्या 1082 में प्रवेश कर रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग कर हल बेल ट्रेक्टर आदि काश्त करने हेतु काश्त करने हेतु साधन सुविधा वर्षो से लाते ले जाते है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी कई वर्षो से निरन्तर निर्विघ्न रूप से साधिकार पूर्वक करता चला आ रहा है। विपक्षी जबरन प्रार्थी को उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग में व्यवधान बाधा रूकावट कारित करते है तथा प्रार्थी को जबरन अपनी आराजी संख्या 1082 के उपयोग उपभोग कृषि कार्य करने में रास्ते में आने जाने हेतु रूकावट, बाधा कारित करते है। तथा प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 1082 में आने जाने हेतु उक्त कदिमी रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है।

लक्टर
धिकारी)

विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते को जबरन बन्द कर दिया है व हांककर फसल इत्यादि काश्त कर देता हैं इस प्रकार प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में आए दिन भारि व्यवधान कारित करता रहता है जिससे प्रार्थी अपने खेतों की हंकाई बुवाई नहीं कर पा रहा है। तथा विपक्षी कहता है कि रेकार्ड में कोई रास्ता नहीं है इसलिए मैं तुम्हे खेत मे से होकर नहीं जाने दुंगा। जबकि प्रार्थी के खेत में जाने का यही एकमात्र नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 1082 में आने जाने व हल बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने हेतु भूमि काश्त करने हेतु आराजी संख्या 1081 की उत्तरी दिशा से पूर्वी पाली से प्रवेश होते हुए पाली के सहारे सहारे विपक्षी की आराजी संख्या 1081 में पूर्वी पाली से प्रवेश कर पाली के सहारे उक्त आराजी की दक्षिणी दिशा में होते हुए प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1082 के में प्रवेश करता है जो उक्त रास्ता 13 फीट चौडा सम्पूर्ण लम्बाई के रास्ते की सख्त आवश्कता है। जो आराजी संख्या 1082 की उत्तरी पाली तक है। जिस निमित्त प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । प्रार्थी को उक्त रास्ते की सख्त आवश्यकता है। तथा उक्त रास्तें के बिना प्रार्थी अपने खेत के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहा है। न्यायालय आप द्वारा रास्ते के एवज में 13 फीट चोडाई एवं सम्पूर्ण लम्बाई के रास्ते का जो भी प्रतिकर न्यायालय आप द्वारा निहित किया जायेगा उसे प्रार्थी तुरन्त अदा करने को तत्पर है। उक्त कदीमी रास्ते को प्रार्थी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित किया गया है। उसे राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में रास्ते के रूप में इंद्राज कराया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। जिस निमित प्रार्थि की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पेश है। विपक्षी प्रार्थी को लगातार रास्ते में बाधा कारित कर रहा है तथा आज से एक माह पूर्व प्रार्थी उक्त रास्ते में अपनी आराजी ट्रेक्टर से हांकने के लिए जाने लगा तो विपक्षी ने उक्त रास्ते को फाटक लगाकर बन्द कर प्रार्थी के साथ लडाई झगडा किया जिससे प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध पुलिस थाना रेलमगरा में रिपोर्ट दी जहां पर दोनों पक्षों को समझाया गया जिससे दोनों पक्षों के मध्य एक समझोता पत्र निष्पादित हुआ जिसमें विपक्षी ने प्रार्थी के पक्ष में इस आशय का समझोता पत्र निष्पादित किया कि प्रार्थी रोशन लाल के खेत में आने जाने, हल, बैल, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने हेतु विपक्षी किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करेगा एवं प्रार्थी द्वारा राहत हेतु यदि न्यायालय में कार्यवाही संस्थित करेगा तो विपक्षी न्यायालय के निर्णय आने तक कीसी प्रकार का विवाद नहीं करेगा एवं रास्ते में बाधा कारित नहीं करेगा इसके बावजूद प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतु विपक्षी द्वारा रोक देने से प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1082 में आने जाने, हल, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने हेतु भूमि काश्त करने हेतु आराजी संख्या 1081 के उत्तरी दिशा के पूर्वी पाली से प्रवेश होते हुए पाली के सहारे सहारे विपक्षी की आराजी संख्या 1081 में पूर्वी पाली से प्रवेश कर पाली के सहारे सहारे उक्त आराजी की पूर्वी दिशा में होते हुए प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1082 के उत्तरी

लक्टर
धिकारी)

पाली में प्रवेश करता है जो उक्त रास्ता 13 फीट चौडा सम्पूर्ण लम्बाई में आराजी स
1082 तक रास्ता विपक्षी से दिलाये जाने का आदेश फरमावें। रास्ते की एवज में न्याय
आप द्वारा जो भी प्रतिकर नियमानुसार निश्चित किया जाता है वो प्रार्थीगण अदा करने
तैयार है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर अदा करने के पश्चात उक्त रास्ते को राजस्व रे
एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज कराया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया ग
अप्रार्थी ने उपस्थित होकर स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष की बहस
गई एवं पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वी
किया जाकर ग्राम सिन्देसरकलां तमहसील क्षेत्र रेलमगरा में प्रार्थी के संयुक्त स्वामि
आधिपत्य की आराजी संख्या 1082 रकबा 03–17 बीघा भूमि में आने जाने, हल, बै
बैलगाडी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने हेतु भूमि काश्त करने हेतु आराजी संख्या 1081
उत्तरी दिशा के पूर्वी पाली के सहारे सहारे विपक्षी की आराजी संख्या 1081 में पूर्वी पाली
सहारे से प्रार्थी की आराजी संख्या 1082 के उत्तरी पाली तक 9.6 फिट की चौडाई एवं 1
फिट चौडा प्रदान किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में पृथ
नम्बर अंकित करते हुए सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जावें। साथ ही प्रार्थी विपक्षी को उ
रास्तें की भूमि के एवज में नियमानुसार वर्तमान डी0एल0सी0 दर से दुगुनी राशि अदा क
पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से क
की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23/01/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुना
गया।

(शक्तिसिंह भाटी
सहायक कलक्ट
(उप खण्ड अधिकारी
रेलमगरा